झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गोड्डा।

विज्ञापन संख्या–01/2025

गोड्डा जिला के गृह रक्षकों के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन।

रिक्तियाँ :–446

1. गोड्डा जिला में गृह रक्षकों के नवनामांकन के लिए रिक्तियों के विरूद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ONLINE आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग–अलग जमा करेंगे।

नोट :– ''गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। **''यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है''**। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ भाव से करने के लिए तत्पर हो''।

2. गोड्डा जिलान्तर्गत ग्रामीण गृह रक्षक–421 एवं शहरी–25 कुल–446 गृह रक्षकों के रूप में नव–नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित/ घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

(क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :–

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत बल	प्रभावी बल	रिक्ति		कुल रिक्तियाँ
				पुरूष	महिला	
1	पोड़ैयाहाट	110	51	30	29	59
2	सुन्दरपहाड़ी	110	61	25	24	49
3	पथरगामा	110	54	28	28	56
4	महागामा	110	68	21	21	42
5	मेहरमा	110	58	26	26	52
6	बोआरीजोर	110	65	23	22	45
7	ठाकुरगंगटी	110	76	17	17	34
8	बसंतराय	110	60	25	25	50
9	गोड्डा (मुफस्सिल)	110	76	17	17	34
	कुल–	**990**	**569**	**212**	**209**	**421**

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :–

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत बल	प्रभावी बल	रिक्ति				कुल रिक्तियाँ	
				पुरूष		महिला			
				गैर तकनीकी	तकनीकी	गैर तकनीकी	तकनीकी	गैर तकनीकी	तकनीकी
1	गोड्डा (शहरी)	64	39	7	6	6	6	**13**	**12**
	कुल–	**64**	**39**	**7**	**6**	**6**	**6**	**13**	**12**

उपरोक्त दोनों कोटियों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे।

महिलाओं के लिए कर्णांकित (आरक्षित) पदों में से पाँच प्रतिशत पद अहर्ता प्राप्त तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 05 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

नोट :— आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही इस तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा कोटि अंतर्गत लाभ अनुमान्य होगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर—तकनीकी/तकनीकी पद की रिक्ति एक दूसरे से भरी जायेगी।

3. **अर्हता** :—

(क) आवासीय :—

(i) **ग्रामीण गृह रक्षक** :— अभ्यर्थी को गोड्डा जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ONLINE आवेदन करेंगे। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) **शहरी गृह रक्षक** :— अभ्यर्थी को गोड्डा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। ONLINE आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) उम्र सीमा :— 01.01.2025 को 19 से 40 वर्ष। (जन्म तिथि दिनांक—01.01.1985 से 31.12.2005 के बीच)

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति ONLINE आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य करेंगे)

नोट :— जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात/प्रमाण—पत्र ONLINE आवेदन के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, जो निम्न प्रकार हैः—

1. जन्म प्रमाण पत्र (यदि है तो)
2. मैट्रिक पास सर्टिफिकेट (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)
3. 7वीं पास आवेदकों के लिए जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण—पत्र

(ग) **शैक्षणिक योग्यता** :—

(i) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास।

(ii) शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक (10वीं) पास।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र की स्व—अभिप्रमाणित प्रति ONLINE आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा)

(घ) <u>शारीरिक मापदंड</u> :– (ग्रामीण / शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान)

(i) लम्बाई :–	पुरूष–	162 से0मी0 (सामान्य / ओ0बी0सी0 / बी0सी0)
		157 से0मी0 (अ0ज0जा0 / अ0जा0)
	महिला–	148 से0मी0 (सभी के लिए)
(ii) सीना :–	पुरूष–	79 से0मी0 (सामान्य / ओ0बी0सी0 / बी0सी0)
		76 से0मी0 (अ0ज0जा0 / अ0जा0)

(शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति को ONLINE आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।

(ड़) <u>तकनीकी दक्षता (सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए)</u> :– अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत / स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकारी होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा :

चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स (पुरूष / महिला), कम्प्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाईसेंसधारी चालक (एच0एम0भी0 / एल0एम0भी0) रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, पलम्बर, अग्निक आदि।

(i) **चालक** के लिए – अभ्यर्थी के पास ड्राईविंग लाईसेंस (एल.एम.भी. / एच.एम.भी.) होना चाहिए जो आवेदन तिथि के पूर्व में निर्गत हो।

(ii) **बिजली मिस्त्री** के लिए –अभ्यर्थी के पास के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

(iii) **कम्प्यूटर ऑपरेटर** के लिए – अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षित होने का प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी यथा सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन स्थान को सामन्य निवास माना जाएगा।

(iv) **नर्स** के लिए – (पुरूष / महिला) अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

(v) **बढ़ई / अग्निक / पलम्बर आदि** के लिए – अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

(vi) **धोबी / हजाम / माली आदि** – विशेषता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए व्यावहारिक जाँच आयोजित की जाएगी।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति को ONLINE आवेदन के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।)

4. <u>चयन प्रक्रिया :–</u> गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या–5442, दिनांक– 20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी :–

(क) **शारीरिक जाँच परीक्षा** :– इसके अन्तर्गत 01 मील की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत् प्रदान किया जायेगा।

(i) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर–तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए :–

जाँच	पुरूष	महिला
दौड़ (01 मील)	5 मिनट या पहले – 20 अंक 5 मिनट से 6 मिनट तक– 10 अंक **6 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेगें।**	8 मिनट या पहले – 20 अंक 8 मिनट से 10 मिनट तक– 10 अंक **10 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेगें।**
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट – 5 अंक (ख) 4′–4′3″ – 6 अंक (ग) 4′3″–4′6″ – 7 अंक (घ) 4′6″–4′9″ – 8 अंक (ड़) 4′9″–5′ – 9 अंक (च) 5′ से अधिक – 10 अंक	क) न्यूनतम 3 फीट – 5 अंक (ख) 3′–3′3″ – 6 अंक (ग) 3′3″– 3′6″ – 7 अंक (घ) 3′6″– 3′9″ – 8 अंक (ड़) 3′9″–4′ – 9 अंक (च) 4′ से अधिक – 10 अंक
लम्बी कूद	क) न्यूनतम 12 फीट–5 अंक (ख) 12′–13′ – 6 अंक (ग) 13′–14′ – 7 अंक (घ) 14′–15′ – 8 अंक (ड़) 15′–16′ – 9 अंक (च) 16′ से अधिक– 10 अंक	क) न्यूनतम 09 फीट – 5 अंक (ख) 09′–10′ – 6 अंक (ग) 10′–11′ – 7 अंक (घ) 11′–12′ – 8 अंक (ड़) 12′–13′ – 9 अंक (च) 13′ से अधिक – 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड–न्यूनतम 16 फीट	10 पौण्ड–न्यूनतम 10 फीट

(ii) तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए :–

जाँच	पुरूष	महिला
दौड़ (01 मील)	6 मिनट या पहले – 20 अंक 6 मिनट से 8 मिनट तक– 10 अंक **8 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेगें।**	8 मिनट या पहले – 20 अंक 8 मिनट से 12 मिनट तक– 10 अंक **12 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेगें।**
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 3.5 फीट– 5 अंक (ख) 4′ से अधिक – 10 अंक	(क) न्यूनतम 2.5 फीट– 5 अंक (ख) 3′ से अधिक – 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9 फीट – 5 अंक (ख) 10′ और अधिक – 10 अंक	क) न्यूनतम 6 फीट – 5 अंक (ख) 7′और अधिक – 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड–न्यूनतम 12 फीट	10 पौण्ड–न्यूनतम 8 फीट

(ख) <u>हिन्दी लेखन–क्षमता परीक्षा :–</u> शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(ग) तकनीकी दक्षता परीक्षा (सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए) :– शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईंग होगा, पूर्णाक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(घ) सभी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसके आलोक में रिक्ति के विरूद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय जाँच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात् उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय राँची के आदेशोपरांत गृह रक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं, उन्हें निम्नवत् अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा। राज्य स्तरीय/राष्ट्र स्तरीय (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति ONLINE आवेदन के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।)

नोट :– संलग्न किए गए प्रमाण–पत्रों का जाँच राज्य स्तरीय/राष्ट्र स्तरीय सक्षम प्राधिकार से कराए जाने के उपरांत अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा।

स्थान	राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
प्रथम	06 अंक	03 अंक
द्वितीय	04 अंक	02 अंक
तृतीय	02 अंक	01 अंक

6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत् अंक दिये जायेगें :–

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	मान्यता	अंक
1	स्नातकोत्तर	UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।	10
2	स्नातक	UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।	08
3	इण्टरमिडिएट	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।	06
4	मैट्रिक	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।	04

नोट :– (i) दो अभ्यर्थियों का समान प्राप्तांक प्राप्त होने की स्थिति में ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ii) दो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं उम्र समान होने पर लम्बाई के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

7. **<u>आवेदन कैसे जमा करें</u>** :– ऑनलाईन आवेदन भरने सं संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाईट– **https://recruitment.jharkhand.gov.in** पर उपलब्ध होगी। आवेदक केवल JAP IT राँची, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये वेबसाईट **https://recruitment.jharkhand.gov.in** पर **दिनांक–20/12/2025 से दिनांक–30/01/2026 तक** अपना आवेदन ONLINE समर्पित कर पायेगें। किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा OFFLINE/ BY POST कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. आवेदन शुल्क की राशि **अनारक्षित (UR)/अ0पि0व0 (BC-I)/पि0व0 (BC-II)** के लिए **मात्र 200 रू0 (दो सौ रूपये)** एवं **अनुसूचित जनजाति (ST)/अनुसूचित जाति (SC)** के लिए मात्र 100 रू0 **(एक सौ रूपये)** है, जो उपरोक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य हैं।

9. ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा हाल का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य हैं।

10. एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का अंतिम आवेदन स्वीकार्य करते हुए शेष आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

11. अर्हत्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में माँगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।

12. आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं, आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में निम्नांकित Email के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर सकते है :–

    (i) जिला समादेष्टा, कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गोड्डा :– Email ID-discomgodda@gmail.com

    अथवा

    (ii) जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा :– Email ID-dio-gdd@nic.in

13. आवेदक द्वारा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड का विवरण ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है।

14. जाँच/परीक्षा की तिथि, स्थान एवं अन्य जरूरी जानकारी की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र/ जिला के आधिकारिक वेबसाइट **<u>https://godda.nic.in</u>** के माध्यम से दी जायेगी।

15. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि गलत/फर्जी प्रमाण–पत्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जायेगा। जिसके संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा एवं आवेदक के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

16. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

    (i) आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र का स्व–अभिप्रमाणित प्रति

    (ii) शैक्षणिक प्रमाण–पत्र का स्व–अभिप्रमाणित प्रति

    (iii) तकनीकी योग्यता से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (तकनीकी गृह रक्षकों के लिए)

    (iv) कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कार्य अनुभव हो,

(v) खेल कूद से संबंधित प्रमाण पत्र (केवल राष्ट्रीय एंव राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतिस्पर्धा में प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान पर चयनित हुए हों तो)

17. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित कोई भी प्रमाण पत्र यथा आवासीय, जाति, शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता, खेल–कूद श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण –पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की **अंतिम तिथि–30 / 01 / 2026** के बाद के होंगे तो वे मान्य नहीं होंगे।

18. आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों को स्व–अभिप्रमाणित करना अनिवार्य है।

19. प्रस्तावित नव–नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, माननीय उच्च न्यायालय, राँची का निर्गत न्यायादेश एवं अनुकम्पा के आधार पर मुख्यालय, राँची भेजे गये प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में नामांकित करने से संबंधी कोई भी आदेश निर्गत होता है तो उक्त प्रखण्ड अथवा शहरी क्षेत्र की रिक्ति घट / बढ़ सकती है तथा नामांकन प्रक्रिया उक्त के अनुरूप पूर्ण की जायेगी।

20. गृह रक्षकों के नव–नामांकन की प्रक्रिया के निष्पादन के क्रम में किसी भी स्तर पर त्रुटि का निराकरण और संषय (यदि कोई हो तो) के समाधान हेतु झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली–2014 के प्रावधान के सर्वोपरि है।

21. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना एवं गृह रक्षक नामांकन का परीक्षाफल **https://godda.nic.in** गोड्डा के वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

12/12/25

जिला दण्डाधिकारी–सह–
उपायुक्त, गोड्डा

ज्ञापांक – 1476 /सा0, गोड्डा, दिनांक– 12 / 12 / 2025

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि गोड्डा संस्करण के 04 (चार) मुख्य समाचार-पत्रों में इसे प्रकाशित करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाईट https://godda.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

12/12/25

जिला दण्डाधिकारी-सह-
उपायुक्त, गोड्डा

ज्ञापांक – 1476 /सा0, गोड्डा, दिनांक– 12 / 12 / 2025

प्रतिलिपि :- जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, गोड्डा/अपर समाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/25

जिला दण्डाधिकारी-सह-
उपायुक्त, गोड्डा